न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 181/2021 **दायर दिनांकः 12.10.2021**

उनवान

1. रामेश्वर आयु 60 वर्ष पुत्र भेरूलाल जाति धाकड निवासी गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. कान्तीबाई आयु 65 वर्ष पत्नि श्यामसुन्दर जाति धाकड़
2. हेमराज आयु 45 वर्ष पुत्र श्यामसुन्दर जाति धाकड़
3. महावीर प्रसाद आयु 40 वर्ष पुत्र श्यामसुन्दर जाति धाकड़
4. सीमा बाई आयु 35 वर्ष पुत्री श्यामसुन्दर जाति धाकड़ निवासीगण मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां राज0।
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 91, 92ए आर टी एक्ट

उपस्थिति :–
वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।
प्रतिवादी :– विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर।

निर्णय दिनांक 09/06/2022

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 53, 88, 89, 91, 92ए आर0 टी0 एक्ट0 का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल गन्दोलिया तहसील अटरू की खाता संख्या 293 की ख0न0 110 रकबा 0.56 है0, ख0न0 111/844 रकबा 0.05 है0, कुल किता 2 का रकबा 0.61 है0 आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 लगायता 4 का हिस्सा 1/4–1/4 वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2072–75 वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी के पुराने खाता नम्बर 278 का ख0नं0 110 रकबा 0.56 है0, ख0नं0 111/844 रकबा 0.05 है0 कुल किता 2 का रकबा 0.61 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के पिता व पति श्यामसुन्दर पुत्र कृष्णगोपाल जाति धाकड निवासी मेरमातालाब के नाम दर्ज थी। जिसको वादी ने जर्ये रजिस्टर्ड

विक्रय पत्र दिनांक 11.07.2016 से खरीद किया था। लेकिन उक्त आराजी पर रहन का नोट अंकित होने कि वजह से उक्त आराजी का नामान्तकरण वादी के पक्ष में दर्ज नहीं हो सका। और जब प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के पिता व पति ने उक्त आराजी के रहन को जमा करवाकर उक्त आराजी पर से रहन के नोट को हटाने कि प्रक्रिया शुरू करी उसी बीच प्रतिवादी क्रम 1 लगा 4 के पिता व पति श्यामसुन्दर पुत्र कृष्णगोपाल जाति धाकड़ निवासी मेरमातालाब कि मृत्यु हो गई और उसके बाद मृतक के वारिसानों के नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज हो गए जिससे उक्त राजस्व रिकार्ड की स्थिति बदल गई है। जिससे उक्त आराजी का नामान्तकरण वादी के पक्ष में दर्ज नहीं हो सका उक्त आराजी पर वर्तमान खातेदारान का नाम दर्ज होने कि वजह से वह उक्त आराजी को खुर्द बुर्द रहन बेचान करने पर आमदा है। इसलिए उक्त आराजी का नामान्तकरण वादी अपने पक्ष में दर्ज करवाने का अधिकारी है। विक्रय पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर हैं। मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार ग्राम एवं माल गन्दोलिया तहसील अटरू की खाता संख्या 293 की ख0न0 110 रकबा 0.56 है0, ख0न0 111/844 रकबा 0.05 है0, कुल किता 2 का रकबा 0.61 है0 आराजी को वादी क्रम 1 के नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज करवाकर इसी अनुसार कब्जा काश्त के हिसाब से मय लगान खाता विभाजन करवाने का वादी अधिकारी है। जिसको बिना न्यायालय की सहायता के नहीं करवाया जा सकता है। इसलिए यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान सरकार प्रतिवादी क्रम 5 भूमि धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जिसको धारा 80 सी0पी0सी0 का मियादी 2 माह का रजिस्टर्ड नोटिस दे दिया गया है। लेकिन बाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण नोटिस की अवधि 2 माह समाप्त हुये बिना ही वाद धारा 80(2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य है। वाद कारण वादी द्वारा प्रतिवादीगण से कई बार मौखिक एवं लिखित निवेदन करने के बाद व अन्तिम बार साफ मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षैत्र में उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य है। वाद की विषयवस्तु व पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के अनुसार उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद पत्र की द्वितीय प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न

है। अतः वादी वाद प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री मय खर्चा सादिर फरमाई जावे किः—

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी क्रम 5 को प्रदान किया जावें।

(ब) वादी के हिस्से अनुसार ग्राम गन्दोलिया के खाता संख्या 293 की ख0न0 110 रकबा 0.56 है0, ख0न0 111/844 रकबा 0.05 है0, कुल किता 2 का रकबा 0.61 है0 पर कब्जा काश्त के हिसाब से मय लगान खाता विभाजन करने का आदेश प्रतिवादी क्रम 5 को प्रदान किया जावे।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 की ओर से जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं 1 में वर्णित तथ्य स्वीकार हैं। वाद पत्र की मद नं 2 में वर्णित तथ्य स्वीकार हैं। वाद पत्र की मद नं 3 में वर्णित तथ्य स्वीकार हैं। वाद पत्र की मद नं 4 में वर्णित तथ्य स्वीकार हैं। वाद पत्र की मद नं 5 में वर्णित तथ्य स्वीकार हैं। वाद पत्र की मद नं 6 में वर्णित तथ्य स्वीकार हैं। वाद पत्र की मद नं 7 में वर्णित तथ्य स्वीकार हैं। वाद पत्र की मद नं 8 में वर्णित तथ्य स्वीकार हैं। वाद पत्र की मद नं 9 में वर्णित तथ्य स्वीकार हैं। प्रार्थना वादी स्वीकार है। अतः माननीय न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किये जाने में प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 को कोई आपत्ति नहीं है तथा ग्राम व माल गन्दोलिया तह. अटरू के खाता संख्या 293 की कुल किता 2 का रकबा 0.61 है0 पर कब्जा काश्त के हिसाब से मय लगान खाता विभाजन किये जाने में प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 को कोई आपत्ति नहीं है।

3. वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ल 4 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर कथन किया गया कि उपरोक्त उनवान का प्रकरण माननीय न्यायालय में जैरकार है। जिसमें आज तारीख पेशी नियत है। उक्त प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया है। ग्राम एवं माल गन्दोलिया के खाता संख्या 293 की ख0न0 110 रकबा 0.56 है0, ख0न0 111/844 रकबा 0.05 है0, कुल किता 2 का रकबा 0.61 है0 आराजी पर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज

किये जाने में प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 को कोई आपत्ति नहीं है तथा उक्त आराजी पर कब्जा काश्त के हिसाब से मय लगान खाता विभाजन किये जाने में भी कोई आपत्ति नहीं है। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामा स्वीकार कर तस्दीक फरमाया जावे।

4. राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया गया। वादी की पहचान श्री महावीर प्रसाद नागर एड0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 की पहचान श्री भीमराज नागर एड0 द्वारा की गई जो तस्दीक कर शा0 फा0 किया गया ।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम गन्दोलिया के ख0न0 110 रकबा 0.56 है0, ख0न0 111/844 रकबा 0.05 है0, कुल किता 2 का रकबा 0.61 है0 मृतक खातेदार श्यामसुन्दर पुत्र श्री कृष्णगोपाल द्वारा रजि0 विक्रय पत्र एस.आर. नं. 2016001389 दिनांक 11.07.2016 से वादी रामेश्वर पुत्र भैरूलाल जाति धाकड़ निवासी गन्दोलिया को बैचान की गई थी लेकिन उक्त भूमि बैंक के पक्ष में रहन दर्ज होने से इंतकाल वादी के पक्ष में तस्दीक नहीं हो सका। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2072–75 दिनांक 09.05.2022 के अनुसार ख0नं0 110 व 111/844 को छोडकर शेष भूमि बैंक ऑफ बडौदा के पक्ष में रहन दर्ज है। अतः आपसी सहमति से पेश राजीनामा एवं रजि0 विक्रय पत्र के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेश:—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादी का आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल गन्दोलिया तहसील अटरू की खाता संख्या 293 की ख0नं0 1026/114 रकबा 0.64 है0, ख0न0 110 रकबा 0.56 है0, ख0न0 111/844 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 113 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 119 रकबा 0.44 है0, ख0नं0 120/837 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 121 रकबा कुल किता 7 का कुल रकबा 2.36 है0 **में से** ख0न0 110 रकबा 0.56 है0, ख0न0 111/844 रकबा 0.05 है0, कुल किता 2 का रकबा 0.61 है0 आराजी पर वादी रामेश्वर पुत्र भैरूलाल को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में पृथक से खाते दर्ज करें।

डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक **09.06.2022** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 181/2021

उनवान

1. रामेश्वर आयु 60 वर्ष पुत्र भेरूलाल जाति धाकड निवासी गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. कान्तीबाई आयु 65 वर्ष पत्नि श्यामसुन्दर जाति धाकड़
2. हेमराज आयु 45 वर्ष पुत्र श्यामसुन्दर जाति धाकड़
3. महावीर प्रसाद आयु 40 वर्ष पुत्र श्यामसुन्दर जाति धाकड़
4. सीमा बाई आयु 35 वर्ष पुत्री श्यामसुन्दर जाति धाकड़ निवासीगण मेरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां राज0।
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 91, 92ए आर टी एक्ट</u>

उपस्थिति :–
वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।
प्रतिवादी :– विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल गन्दोलिया तहसील अटरू की खाता संख्या 293 की ख0नं0 1026/114 रकबा 0.64 है0, ख0न0 110 रकबा 0.56 है0, ख0न0 111/844 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 113 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 119 रकबा 0.44 है0, ख0नं0 120/837 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 121 रकबा कुल किता 7 का कुल रकबा 2.36 है0 **में से** ख0न0 110 रकबा 0.56 है0, ख0न0 111/844 रकबा 0.05 है0, कुल किता 2 का रकबा 0.61 है0 आराजी पर वादी रामेश्वर पुत्र भैरूलाल को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में पृथक से खाते दर्ज करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X..
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 09.06.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)